

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 ब के अनुसार 17 बिन्दुओं की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार संलग्न है ।

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक एक सिवनी ।

बिन्दु क्रमांक -1 :- इसके संगठन (Organisation) कृत्य (Funcation) तथा कर्तव्यों (Duties) की विशिष्टताएं (Particulars) :-

- * स्थापत्यकला ।
- * राज्य की सडकों एवं पुलों का सर्वेक्षण रूपांकन परिकल्पना, निर्माण , सुधार एवं देख रेख ।
- * क्षेत्रीय विकास के लिए सौंपे गये कार्यों को कार्यान्वित करना ।
- * यह विभाग भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय अनुदान के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आदीवासी क्षेत्रों में मार्गों एवं पुलो से संबंधित सर्वेक्षण रूपांकन , निर्माण, और रखरखाव का कार्य भी सम्पन्न करता है ।
- * केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत दस्युग्रस्त क्षेत्रों में सडकों का निर्माण ।
- * अंतराष्ट्रीय एवं आर्थिक महत्व की सडकों का निर्माण ।
- * बांड बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत सडकों का विकास ।
- * एशियन विकास बैंक की सहायता से सडक निर्माण ।
- * समय समय पर सौंपे गये अन्य कोई कार्य ।

बिन्दु क्रमांक -2 :-

इसके अधिकारीगण तथा कर्मचारी/कर्मकार/नियोजितों (Employees) की शक्तियां एवं कर्तव्य ।

संगठनात्मक गठन :- प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता विभाग के शीर्ष होंगे । प्रमुख अभियंता विभाग की सभी गतिविधियों पर पर्यवेक्षण रखेगा एवं विभाग के व्यवस्थित कार्य संपादन के लिए शासन के प्रति दायी होगा ।

मुख्य अभियंतागण जो परिक्षेत्र के प्रभार में हैं उनके आधीन शासन द्वारा मंजूर सर्किल/संभाग/उपसंभाग होंगे इसके अतिरिक्त अन्य विवेचनाओं जैसे शोध परिकल्पना आदि की भी अपेक्षा अनुसार प्रकाशित किया जा सकता है ।

उपसंभागों /संभागों / सर्किलों की मांग का निर्धारण समय समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जावेगा ।

प्रशासनिक संरचना :-

प्रमुख अभियंता :- प्रमुख अभियंता शासन का वृत्तिक सलाहकार होगा एवं विभाग के सभी कार्यों के लिए दायी होगा । वह मुख्य अभियंतागण के मध्य समन्वित प्राधिकारी भी होगा ।

मुख्य अभियंता :- मुख्य अभियंता उसकी अधिकारिता के अंतर्गत प्रशासन एवं कर्मचारीवृन्द को नियंत्रित करने के संबंध में विभाग का शीर्ष होगा ।

सर्किल विभाग की प्रशासनिक ईकाई सर्किल है । अधीक्षण यंत्री स्वयं के प्रभार में होने वाले सर्किल के भीतर संपादित कार्यों के निष्पादन एवं प्रबंध के लिए दायी है ।

संभाग :- (क) विभाग की कार्यकारी ईकाई कार्यपालन यंत्री के प्रभार में होने वाला संभाग है । जो सहायक यंत्री गण के लिए विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है । कार्यपालन यंत्री उसके संभाग के अंतर्गत कार्यों के प्रबंध एवं निष्पादन के दायी है ।

(ख) संभाग अधिकारी प्राथमिक संवितरक के रूप में सम्पूर्ण संभाग के सभी वित्तीय संव्यवहारों एवं खातों के उचित रखरखाव के लिए दायी होगा । आंकेक्षण एवं सामान्य लेखों में सम्मिलित करने के लिए नियत दिनांक तक उससे महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करने की अतिरिक्त अपेक्षा भी की जाती है । वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके संभाग के लेखों को बकाया होने की अनुमति नहीं दी गई है ।

उपखंड :- संभाग को उपखंडों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उप-खंड सहायक यंत्री के प्रभार में होगा जो विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है । अनुविभागीय अधिकारी उसके उपखंड के आधीन कार्य के निष्पादन एवं प्रबंध के लिए कार्यपालन यंत्री के प्रति जिम्मेदार है ।

अनुभाग :- उपखंड को उप अभियंता के प्रभार में अनुभागों में विभक्त किया जाता है जो कि उसके अनुभाग में कार्य के निष्पादन एवं प्रबंध के लिए दायी होगा । अनुभाग उनकी सीमाएं एवं मुख्यालय को सहायक यंत्री द्वारा नियत किया जावेगा । किसी अभियंता को अनुभाग का प्रभार नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह विहित प्रशिक्षण नहीं ले चुका है अथवा लेखें परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर चुका है ।

संरचना का वर्णनात्मक विवरण एवं श्रेणीबद्ध मानचित्र संलग्न है । (प्रपत्र 1) (सहपत्र क्रमांक एक) विभिन्न अधिकारियों के कर्तव्यों (function) एवं जिम्मेदारी मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली 1983 खंड II भाग I के अपेडिक्स 1.22 से 1.30, 1.33 तक (Ammended) / Adminstrative Circulars issued / Uptodate में विस्तृत रूप से दर्शाये गये हैं । इसके साथ -साथ मध्य प्रदेश वित्त संहिता वाल्यूम 1 एवं II में निहित अधिकार भी उपरोक्त अधिकारियों को प्रदत्त हैं ।

बिन्दु क्रमांक -3 :- विनिश्चय /निर्णय किये के प्रक्रम (Process) में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया (Peocedure) और निगरानी /पर्यवेक्षण (Supervision) तथा जबाबदेही का माध्यम/सारणी (Channel) भी :-

लोक निर्माण विभाग राज्य के लोक भवनों एवं पुलों एवं सडकों के निर्माण हेतु प्रमुख अभिकरण है जैसा कि विस्तार से मेन्चुवल 1 में दर्शाया गया है । विभाग में सहायक यंत्री से लेकर प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप लिये जाने वाले निर्णयों को विस्तार से मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली -1983 खंड II भाग I के अपेडिक्स 1.33 में दर्शाया गया है ।

इसके अतिरिक्त समय समय पर जारी किये गये वित्तीय, स्थापना एवं कार्य नियमावली एवं नियमावली में समय समय पर जारी किये गये संशोधन भी संलग्न किये गये है ।

विभिन्न स्तरों के कार्य निष्पादन श्रेणीवद्ध मानचित्र में संलग्न है ।

(प्रपत्र -2)सहपत्र क्र-2

बिन्दु क्रमांक 4 :- उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा मानदंड /प्रतिमान निश्चित करना :-

- मापदंड :- प्रत्येक परिक्षेत्र, मंडल संभाग उपसंभाग तथा अनुभाग का कार्यक्षेत्र एवं कार्य का परिणाम विभाग द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से संवाहित किये गये है । जो कि संलग्न है ।

- एवं अन्य मापदंड :- वित्तीय एवं अन्य मापदंड भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए निर्माण विभाग नियमावली 1983 खंड 2 भाग 1 के एपेडिक्स 1.33 तथा 2.30 में दर्शाये गये हैं ।इसके अतिरिक्त शासन द्वारा परिपत्रों के माध्यम से इसे अद्यतन किया गया है । परिपत्रों की सूची संलग्न है ।

- कार्यो की तकनीकी स्वीकृतियां देने बाबद समय सीमा हेतु प्रत्येक स्तर पर समय निर्धारण हेतु परिपत्र जारी किये गये है जो कि संलग्न है ।

- निविदाओं पर निर्णय लेने हेतु विभिन्न स्तरों पर समय सीमा परिपत्रों द्वारा निर्धारित की गई है । जो कि संलग्न है । (सहपत्र क्रमांक-3)

- गुणवत्ता प्रबंधन :- निर्माण कार्य का स्तर एवं विशिष्टता का सही ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु विभाग निम्नलिखित कोडस (Codes) का परिपालन करता है ।

- आई.आर.सी. कोडस
- नेशनल बिल्डिंग कोडस
- बी.आई.एस.कोडस
- सी.पी.डब्लू.डी स्पेशिफिकेशन एवं रेट डाटा एनालेसिस
- एम.ओ.आर.एस.टी. एच . स्पेशिफिकेशन
- शेड्यूल्य आफ रेट
- बुक आफ फायनेशियल पावर्स

– विभाग द्वारा विषय वस्तु से संबंधित परिपत्र , एमेंडमेंट्स एवं निर्देश संबंधित परिपत्र संलग्न है ।

बिन्दु क्रमांक 5 :-

उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के आधीन या उसके कर्मचारियों / कर्मकारों / नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गये नियमों विनियमों, अनुदेशों (Instructions) मेन्युअल्स, और अभिलेख (Records) :-

मध्यप्रदेश वर्क्स डिपार्टमेंट नियमावली 1983

खंड I

खंड II भाग I

खंड II भाग II

मेन्युवल में दर्शाये गये रिकार्ड्स

जैसा कि

- कार्य संबंधी
- बिल्डिंग रजिस्टर
- पुल पुलियों एवं मार्गों के रजिस्टर
- प्रशासकीय स्वीकृति रजिस्टर
- तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर
- रोड मेटल रेट बुक
- टेंडर रजिस्टर
- शेड्यूल्य आफ रेट्स
- अन्य रिकार्ड जो मेन्युवल में दर्शाये गये है ।

स्थापना संबंधी

- भर्ती नियम , सर्विस रूल्स
- सेवा पुस्तिका
- ग्रेडेशन लिस्ट
- पदस्थापना रजिस्टर
- विभागीय ढांचा
- विभिन्न श्रेणियों के Pay Scales
- समय समय पर प्राप्त Pay Scales Revised तथा मंहगाई भत्ता एवं अन्य सुविधाओं संबंधी

Circulars and orders

लेखा एवं बजट संबंधी

- विधान सभा द्वारा पारित बजट
- वित्त विभाग द्वारा प्राप्त आबंटन
- माहवारी आय व्यय , संबंधी जानकारी
- Vouchers
- एवं अन्य रिकार्ड नियमावली में दर्शाये अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन
- इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित कोडस (Code)
 - एम.ओ.आर.एस.टी. स्पेशिफिकेशनस
 - सी.पी.डब्लू.डी स्पेशिफिकेशन एवं रेट डेटा बुक्स
 - बी.आई.एस. कोडस
 - नेशनल बिल्डिंग कोडस
 - शेड्यूल आफ रेटस

सामान्य

निर्माण विभाग नियमावली खंड 2 भाग 2 के Appendices 9.11 में दर्शाये गये अन्य अभिलेख एवं इन अभिलेखों के परिलिखित करने की समय सीमा ।

बिन्दु क्रमांक-6 :-

उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के आधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण (A Statements of the categories of documents)

- योजना से संबंधित
- बजट से संबंधित
- स्थापना से संबंधित
- सामान्य (निविदा टोल इत्यादी से संबंधित)
- उपरोक्त अभिलेखों की विस्तृत जानकारी निर्माण विभाग नियमावली 1983 के भाग 2 खंड 1 के अपेडिक्स 9.11 में विस्तृत रूप से दी गई है ।

बिन्दु क्रमांक -7

उसकी नीति के सूत्रीकरण / प्रतिपादन (Formulation) अथवा उसके कार्यान्वयन /परिपालन के संबंध में किसी प्रबंध /व्यवस्था की विशिष्टियां के संबंध में किसी प्रबंध / व्यवस्था की विशिष्टियां

जो लोक सदस्यों द्वारा परामर्श किये जाने के लिए या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए मौजूद है / अस्तित्व में है ।

मध्यप्रदेश शासन स्तर एवं प्रमुख / मुख्य अभियंता कार्यालय स्तर पर लोक सदस्यों द्वारा परामर्श किये जाने के लिए परामर्श दात्री समितियों का गठन किया गया है ।

बिन्दु क्रमांक 8 :-

उन बोर्ड (Boards) परिषदों कमेटियों तथा अन्य निकायों जिनमें दो या अधिक व्यक्ति उनके गठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श की क्या आशय के लिए रखे गये हैं । का विवरण (Statements) और इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डों परिषदों कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन पब्लिक के लिए (सार्वजनिक रूप से) खुले हैं और क्या ऐसे सम्मिलनों के ब्यौरे /विवरण पब्लिक के पहुंच योग्य / अभिगम्य (Accessible) है ।

मध्यप्रदेश शासन ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा हेतु तीन समितियों का गठन किया है ।

1- स्थाई वित्तीय समिति

2- वित्तीय व्यय समिति

3- परियोजना परीक्षण समिति

प्रत्येक समिति द्वारा समय समय पर परियोजना के परिणाम का आंकलन एवं इस आधार पर उसी रूप में अथवा संशोधित रूप में जारी रखने या नहीं रखने बाबत निर्णय लिया जाता है ।

निविदा एवं खरीदी स्वीकृत हेतु शासन स्तर , प्रमुख अभियंता स्तर, मुख्य अभियंता स्तर , अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री स्तर पर समितियां गठित है । जिसमें संबंधित परिपत्र संलग्न है । (सहपत्र क्रमांक 4)

इस संबंध में जारी समितियों की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से खुली नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक 9:- इसके अधिकारियों और कर्मचारियों /नियोजितों की निर्देशिका

(डायरेक्टरी)

संभाग में कुल अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या है ।

श्रेणीवार विभाजन निम्नानुसार है ।

म.प्र. अभियांत्रिकी सेवा वर्ग 1 1

संभागीय लेखाधिकारी – 1 (महालेखाकार म.प्र द्वारा नियुक्त)

म.प्र. अभियांत्रिकी सेवा वर्ग 2 5

म.प्र. अभियांत्रिकी सेवा वर्ग 3

1) गैर यांत्रिक 78

2) कार्यभारित कन्टेंजेंसी	68
म.प्र. अभियांत्रिक विभाग वर्ग -4	
1) गैर यांत्रिक	20
कंटीजेंसी एवं कार्यभारित सेवाएं	48

more information being updated

बिन्दु क्रमांक 10 :- मासिक पारिश्रमिक (Remuneration) जो उसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है तथा उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ती /मुआवजे /प्रतिकर की पद्धति (System) भी :-

विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते एवं कटौतियों की जानकारी प्रपत्र में संलग्न है । (प्रपत्र 3) (सहपत्र क्रमांक 5)

बिन्दु क्रमांक 11 :- उसकी प्रत्येक ऐजेन्सी (अभिकरण) के लिए आबंटित बजट समस्त योजनाओं (Plans) की प्रस्तावित खर्चों (व्ययों) की तथा किये गये भुगतानों /अदायगी की रिपोर्ट्स की विशिष्टियां (Particulars)

विभाग का जिलेवार आय व्यय पत्रक संलग्न है । इस प्रपत्र में माह 12/2008 तक का व्यय भी दर्शाया गया है । (आय व्यय पत्रक संलग्न है) प्रपत्र -4 (सहपत्र क्रमांक 6)

बिन्दु क्रमांक 12:- अनुदान के (Subsidy) प्रोग्राम के प्रवर्तन की रीति (Manner) और आबंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण (Details) :-

वर्तमान में विभाग द्वारा कोई भी कार्य सबसिडि प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 13 :- उसके द्वारा दी गई रियायतों /सुविधाओं अनुज्ञा-पत्रों (Permits) या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की विशिष्टियां :-

विभाग द्वारा पुलों एवं नावघाट पर टौल टेक्स अधिरोपित किया जाता है । परन्तु कुछ वाहनों तथा व्यक्तियों को पथकर भुगतान से मुक्त रख गया है ।

पथकर से मुक्त किये गये व्यक्तियों एवं वाहनों की सूची मध्यप्रदेश कार्यविभाग नियमावली 1983 के खंड 2 भाग 2 के परिशिष्ट 9.19 तथा 9.26 में दी गई है । टौल दरों की अद्यतन सूची एवं नियम संलग्न है । (सहपत्र क्रमांक 7)

व्ही.आई.पी. अतिथिगृह विश्रामभवन विश्रामगृह निरीक्षण बंगला एवं निरीक्षण हट के उपयोग हेतु शासन द्वारा सुसंगत नियम बनाये है । जिसकी अद्यतन प्रतिलिपि संलग्न है ।(सहपत्र क्रमांक 8)

बिन्दु क्रमांक 14:- उसके द्वारा प्राप्यनीय या उसके द्वारा धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण (Details)

जानकारी इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा रही है ।

बिन्दु क्रमांक 15:- नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए प्राप्यनीय सुविधाओं की विशिष्टियों और वाचनालय (लायब्रेरी) या रीडिंग रूम (अध्ययन कक्ष) के कार्यकारी घंटे (समय) यदि लोक उपयोग के लिए बनाये रखा गया है की भी विशिष्टियां :-

– मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना के अधिकार हेतु सिटिजन चार्टर जारी किया गया है । प्रतिलिपि संलग्न है ।

– जानकारी आदेश में वर्णित संबंधित से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।

– जानकारी हेतु प्रथक से किसी लाईब्रेरी अथवा रीडिंग रूम की व्यवस्था नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक 16 :- लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदसंज्ञा /पदनाम तथा अन्य विशिष्टियां

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (5) के तहत मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग ने पत्र क्रमांक /4/1/2005 /सा/19 /दिनांक 22.08.2005 द्वारा मंत्रालय स्तर पर एवं उपयंत्री से प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारियों से संबंधित लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है । आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है । इसी तारतम्य में संभाग द्वारा जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है । जिसकी छाया प्रति संलग्न है । (प्रपत्र 5 एवं 6) (सहपत्र क्रमांक 9)

बिन्दु क्रमांक 17 :- ऐसे अन्य सूचनाए जो विहित की जाये ।

निरंक

कार्यपालन यंत्री ,
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग क्रमांक एक सिवनी

कार्यालय कार्यपालन यंत्रि
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र-1, सिवनी

क्रमांक / /तक./ 2005-06

सिवनी, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
सिवनी (म.प्र.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन
का बोर्ड लगाने बावद् ।

सन्दर्भ :- आपका ज्ञाप क्रमांक / 10966 / सू.का.अधि. / प्र.लि. / 2008,
सिवनी, दिनांक 10.12.2008

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1 सिवनी के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किया गया हैं ।

क्र	कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
	अनुभाग स्तर पर	उपयंत्रि		
1.	मुख्यालय उपखंड क्र.1 सिवनी	श्री डी.डी. उपाध्याय उपयंत्रि	—	श्री डी.के. नकासे अनु. अधिकारी
2.	कान्हीवाडा उपखंड	श्री डी.डी. उपाध्याय उपयंत्रि	—	—”—
3.	बरघाट उपखंड	श्री डी.आर.करमकर उपयंत्रि	—	—”—
4.	मुख्यालय उपखंड क्र-2 सिवनी	श्री बी.एल. अवधिया उपयंत्रि	—	श्री एस.के.अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी
5.	मुंगवानी उपखंड	श्री आर.के. अग्रवाल उपयंत्रि	—	—”—
6.	बंडोल उपखंड	श्री आर.के अग्रवाल उपयंत्रि	—	—”—
7.	कुरई उपखंड	श्री वाय.पी.सनोडिया उपयंत्रि	—	—”—
8.	अरी उपखंड	श्री आर.के. अग्रवाल उपयंत्रि	—	—”—
9.	गोपालगंज उपखंड	श्री बी.आर.सनोडिया उपयंत्रि	—	

क्र	कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलिय अधिकारी
	अनुभाग स्तर पर	उपयंत्री		
9.	केवलारी उपखंड-1	श्री एम.के. जैन उपयंत्री	—	श्री के.एस.इनवाती अनु.अधिकारी
10	केवलारी उपखंड-2	श्री एम.के. जैन उपयंत्री	—	—''—
11	छिंदा उपखंड	श्री जी.पी. सोनी उपयंत्री	—	—''—
12	पलारी उपखंड	श्री जी.पी. सोनी उपयंत्री	—	—''—
13	उगली उपखंड-1	श्री एम.के. जैन उपयंत्री	—	—''—
14	उगली उपखंड-2	श्री एम.के.जैन उपयंत्री	—	—''—
15	सिवनी मुख्यालय क्र-3	श्री एस.के. सिंगोतिया उपयंत्री	—	श्री व्ही.के.दिवाकर अनुविभागीय अधिकारी
16	छपारा उपखंड	श्री शिरीष चौरघडे उपयंत्री	—	—''—
17	आदेगांव सेक्शन	श्री विलास सतवाने उपयंत्री	—	—''—
18	मुख्यालय ल-दौन	श्री जी.एस.बागरी उपयंत्री	—	श्री के .एल. राय अनुविभागीय अधिकारी
19	कहानी उपखंड	श्री एम.के.खरे उपयंत्री	—	—''—
20	घंसौर उपखंड	श्री एम.के. खरे उपयंत्री	—	—''—
21	धनौरा उपखंड	श्री एम.के. खरे उपयंत्री	—	—''—
22	धूमा उपखंड	श्री जी.एस.बागरी उपयंत्री	—	—''—

क्र	कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
	अनुविभाग स्तर पर			
1.	अनु.अधि.लो.नि.वि. क्र-1 सिवनी	श्री डी.के. नकासे अनु.अधि.	श्री डी.डी.उपाध्याय उपयंत्री मुख्यालय	श्री एस.के.मस्के कार्यपालन यंत्री
2.	अनु.अधि.लो.नि.वि. क्र-2 सिवनी	श्री एस.के.अग्रवाल अनु.अधि.	श्री बी.एल.अवधिया उपयंत्री मुख्यालय	श्री एस.के. मस्के कार्यपालन यंत्री
3	अनु.अधि.लो.नि.वि. केवलारी	श्री के.एस.इनवाती अनु.अधि.	श्री एम.के. जैन उपयंत्री	श्री एस.के. मस्के कार्यपालन यंत्री
4.	अनु.अधि.लो.नि.वि. उपसंभाग क्र.3 सिवनी	श्री व्ही.के.दिवाकर अनु.अधि.	श्री एस.के. सिंगोतिया उपयंत्री	श्री एस.के. मस्के कार्यपालन यंत्री
	जिला स्तर पर			
1.	कार्यपालन यंत्री	श्री एस.के.मस्के कार्यपालन यंत्री	श्री आई.सी. श्रीवास्तव वरिष्ठ संभा. लेखाधिकारी	संलग्न अधीक्षण यंत्री कार्यालय मुख्य अभियंता जबलपुर

सहपत्र :- शून्य

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.(भ/स)संभाग क्र-1,
सिवनी(म.प्र.)

पृष्ठां.क्रमांक / / तकनीकि / 2005-06 सिवनी, दिनांक
प्रतिलिपि :-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग क्र-1/2/3 सिवनी, केवलारी एवं लखनादौन उपसंभाग सिवनी ।
- 2- सर्व-संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सहपत्र :- शून्य ।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.(भ/स)संभाग क्र-1
सिवनी(म.प्र.)
दूरभाष-07692-220572